फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उप खण्ड II सांगानेर

बनाम प्रभाती लाल

केस संख्या 123/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/6/25	[illegible] उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)

Reader

38/12/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर द्वितीय जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 129/2021

चंदालाल पुत्र स्व. श्री बालूराम, उम्र 70 वर्ष, जाति–हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1–प्रभाती लाल
2–पांचूराम
3–बबलू
4–रामबाबू
पुत्रान कल्याण,
5–श्रीमति मीरा पत्नि राजेश
6–श्रीमति फूली पुत्री प्रभातीलाल
पुत्रान प्रभातीलाल,
7–मुकेश
8–कन्हैयालाल
9–गोविन्द
10–लालचन्द
पुत्रान पांचूराम,
11–खेमचन्द
12–लाली पत्नि गोविन्दराम,
13–उर्मिला पत्नि लालचन्द
पुत्रान लादूराम,
14–श्रीमति कृष्णा पत्नि श्री खेमचन्द
15–शंकर कांदला पुत्र स्व. श्री मोतीराम कांदला
समस्त निवासीगण 1 लगायत 15 ग्राम कपूरावाला, तहसील सांग
जिला जयपुर
16–अनिल बागडा पुत्र श्री सहदेव
निवासी–ग्राम खातीपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) सी.पी.सी. बाबत अवमा

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि–

1– यह कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र त बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ–साथ अस्थायी निषे प्रार्थना पत्र ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को इस आशय अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने के लिए निवेदन था कि "अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 35 को पाबंद फरमाया